(80)

(436)

न्यायालय मानीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध-8029-I-16

श्री ... द्वारा आज दि 3-11-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 1/ 2016 विविध

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री विश्वास गुप्ता निवासी सेवाग्राम खजुराहों तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

.... आवेदिका

बनाम

म.प्र. शासन ... अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3421/1/ 2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 में संशोधन करने बाबत।

महोदय,

आवेदिका की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदिका द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/अ-2/ 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरूद्व माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी में दिनांक 4.10.2016 को आदेश पारित किया गया उक्त आदेश में लगभग 4 जगह जिला छतरपुर की जगह जिला टीकमगढ हो गया है जिसको सुधारा जाना आवश्यक है।
2. यहकि, निगरानी प्रकरण के उनमान में आवेदिका के पते में तहसील रघुराज नगर टाइपिंग त्रुटि के कारण लिखा गया है जिसे सुधारकर तहसील राजनगर किया जावे।
3. यहकि, निगरानी में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 4.10.2016 को आदेश पारित किया है आदेश के पैरा एक में प्रथम पंक्ति में जिला टीकमगढ लिखा गया है जबकि जिला छतरपुर है इसी प्रकार

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 8029–एक/16 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.11.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 सी0 पी0 सी0 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निग0 3421–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4.10.16 में लिपिकीय त्रुटि के कारण संशोधन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि निगरानी मेमों में आवेदिका के पते पर तहसील राजनगर की जगह तहसील रघुराज नगर लिख गया है, तहसील राजनगर लिखा जावे। इसी प्रकार पारित आदेश में जिला छतरपुर की जगह जिला टीकमगढ 4 जगह अंकित हो गया है, जिसे सुधार कर टीकमगढ की जगह जिला छतरपुर लिखा जावे। 3– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आवेदिका के पते पर रघुराजनगर की जगह तहसील राजनगर पढ़ा जावे एवं इसी प्रकार आदेश में जिस जगह जिला टीकमगढ है उस जगह पर जिला छतरपुर पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग मानी जावेगी। सदस्य	